

चूककर्ता अब भुगतान करके निश्चित हो सकते हैं

बकाया  
राशि का भुगतान  
करने के लिए  
चूककर्ताओं को  
अंतिम अवसर



स्वर्ण  
जयंती वर्ष  
के उपलक्ष्य  
में

## दि.वि.प्रा. की जुर्माना राहत योजना का लाभ उठाएं

जुर्माने पर  
25% राहत

कोई बहाली  
प्रभार नहीं

कोई कानूनी  
कार्रवाई नहीं

दि.वि.प्रा. की जुर्माना राहत योजना, 2007 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के उन चूककर्ता आबंटितियों के लिए अंतिम अवसर है जो मासिक किश्तों का भुगतान करने में असफल रहे हैं। यह योजना उन आवेदकों पर लागू होगी, जो निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं:

1. आवेदन की तारीख तक बकाया सभी किश्तें
2. उक्त पर ब्याज जुर्माना
3. ब्याज सहित भू-भाटक या पूंजीकृत भू-भाटक अर्थात् भूमि लागत का 12%, यदि पहले भुगतान नहीं किया है।

### योजना के अन्तर्गत राहत

- किश्तों के विलंब से भुगतान/भुगतान नहीं करने पर, भुगतान नहीं किए गए जुर्माने (ब्याज) के संबंध में 25% राहत।

- कोई बहाली प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

आवेदन पत्र 150/- रुपये का भुगतान करके निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं:

- काउंटर नं. 11, डी ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली

- सी.ए.यू., उत्तरी जोन, अशोक विहार
- सी.ए.यू., रोहिणी जोन, रोहिणी
- सी.ए.यू., पूर्वी जोन, यमुना पार क्षेत्र
- सी.ए.यू., द्वारका जोन, मंगलापुरी
- सी.ए.यू., दक्षिणी-पूर्वी जोन, खेलगाँव
- सी.ए.यू., दक्षिणी-पश्चिमी जोन, वसंत कुंज
- अधिशासी अभियन्ता, एनडी-4, नरेला
- अधिशासी अभियन्ता, डब्ल्यूडी-7, पश्चिम विहार
- अधिशासी अभियन्ता, एसईडी-I, सरिता विहार
- अधिशासी अभियन्ता, ईडी-2, दिलशाद गार्डन

भारतीय स्टेट बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विकास सदन में स्थित शाखाएं एक समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) की बकाया राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं। आवेदन पत्र काउंटर नं. 11, डी ब्लॉक, विकास सदन में जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भूतल, डी ब्लॉक, विकास सदन में सलाहकार उपलब्ध हैं।

फार्म वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं

वित्त सलाहकार (आवास)

योजना 31.12.2007 तक वैध है



### दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'dda.org.in' पर सम्पर्क करें या 42895566 डायल करें



अपने फ्लैट का स्वामी होने का गर्व प्राप्त करें